समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09.09.2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19.10.2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद **श्री धनेश्वर शर्मा पे0 श्री प्रहलाद शर्मा सा0 शिकारपुर थाना मझौलिया जिला पश्चिम चम्पारण वर्तमान पता- थाना प्रभारी सिंहेश्वर** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया और बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया है, जिस कारण कार्यालय के ज्ञापांक 100/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-03/1992(**सिंहेश्वर थाना**) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए आवेदन में अंकित किया गया है कि अनुज्ञप्ति पुस्त खो गया है। सरकारी कार्य में अत्यंत व्यस्तता और घर-गृहस्थी के उलझन के कारण डुप्लीकेट शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने और शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने की अवधि का विस्तार की दिशा में पहल नहीं किया जा सका है। इसके लिए क्षमा की याचना करते हुए डूप्लीकेट शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने, वर्ष 1995 से अब तक अनुज्ञप्ति नवीकृत करने और शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने के लिए एक बार 1(एक) वर्ष की अवधि विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

लोक सभा आम चुनाव-2014 के अवसर पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 को कराने हेतु निदेश जारी किया गया था। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर के संयुक्त प्रतिवेदन ज्ञापांक 114 दिनांक 15.03.2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त अनुज्ञप्तिधारी पुनः उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। वर्ष 1995 के बाद अद्यतन समय तक शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं है एवं अद्यतन समय तक शस्त्र विहीन हैं। स्पष्टीकरण पूछे जाने के बाद इनके द्वारा अनुज्ञप्ति खोने, नवीकरण नहीं कराए जाने आदि की बात बताई गई है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है और न ही कोई जान-माल का खतरा है। इस तरह प्राप्त स्पष्टीकरण आवेदन संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। इस उदासीनता के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार हैं, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तों को पूरा नहीं करते हैं।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए के उल्लंघन का दोषी मानते हुए **श्री धनेश्वर शर्मा पे0 श्री प्रहलाद शर्मा सा0 शिकारपुर थाना मझौलिया जिला पश्चिम चम्पारण वर्तमान पता- थाना प्रभारी सिंहेश्वर** के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-03/1992(सिंहेश्वर थाना) को रद्द किया जाता है तथा धारा-21 के तहत् उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पुस्त मिल जाने पर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगें।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पंजी में इस आशय की प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर अंकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 243 /श0, दिनांक 2/5/14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री धनेश्वर शर्मा पे0 श्री प्रहलाद शर्मा सा0 शिकारपुर थाना मझौलिया जिला पश्चिम चम्पारण वर्तमान पता- थाना प्रभारी सिंहेश्वर** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

02/05/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।